कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 114 / 2-6 दिनांक, गोरखपुर, जुलाई, 08 /2018

सेवा में,

अधीशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड (भवन),
लो0नि0वि0, गोरखपुर।

विषयः जनपद गोरखपुर में एन0एच0–29 के छूटे शहरी भाग (नौसड चौराहे से बाघागाडा तक) के किमी0 चैनेज 0.000 से 3.250 के 4 लेन में चौडीकरण एवं सुदृढीकरण किये जाने के कार्य में 4.225 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 226 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ का पत्र सं0 8बी/यू0पी0/06/45/2018/एफ.सी./212 दिनांक 22.06.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 5401/11–सी–FP/UP/Road/30203/2017 दिनांक 28.06.2018

महोदय,

संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद गोरखपुर में एन0एच0–29 के छूटे शहरी भाग (नौसड चौराहे से बाघागाडा तक) के किमी0 चैनेज 0.000 से 3.250 के 4 लेन में चौडीकरण एवं सुदृढीकरण किये जाने के कार्य में 4.225 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 226 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ का पत्र सं0 8बी/यू0पी0/06/45/2018/एफ.सी./212 दिनांक 22.06.2018 (प्रति संलग्न) द्वारा निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है। कृपया सभी शर्तो का पालन करते हुए निम्न विवरण के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट तीन प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे विधिवत स्वीकृत प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके :–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि के दोगुने अवनत (4.225X2 = 8.450) अर्थात 8.450 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रु0 57,38,850.00 आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।
2. क–प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम् न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (4.225X803000.00 = 3392675.00) (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

   ख–इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाइन ई–रसीद की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि एवं एन0पी0वी0 की धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

   ग–प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण–पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।
6. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन प्रेषित करते हुए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे।
7. प्रकरण में कार्यानुमति देने के पूर्व राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण, वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र–11–306/2014–एफ0सी0 (Pt.) दिनांक 28.08.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः कृपया सभी शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं /वचनबद्धता प्रमाण–पत्र जो लागू हो को इस कार्यालय में तीन प्रतियों में अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे तद्नुसार अनुपालन आख्या प्रेषित कर विधिवत स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय

(एन0के0 जानू)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर

संख्या अ/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4. उप प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर एवं क्षेत्रीय वनाधिकारी, ~~सम्बन्धित~~ कैम्पियरगंज।

(एन0के0 जानू)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर